रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12, 1976 (ज्येष्ठ 22, 1898)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12, 1976 (JYAISTHA 22, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 अप्रैल 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th April 1976 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
82.	सं० प्रति अदायगी/सा० सू० 40/76, दिनांक 22 अप्रैल, 1976।	राजस्व और बैंकिंग विभाग	सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-40/76, dated the 22nd April 1976.	Department of Revenue & Banking.	Amendments in Tables published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971.
	सं० प्रति अदायगी पी० एन०-41/76, दिनांक 22 अप्रैल, 1976।	तदैव	सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-41/76, dated the 22nd April 1976.	Do.	Amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971.
	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-42/76, दिनांक 22 अप्रैल, 1976।	तदैव	सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-42/76, dated the 22nd April 1976.	Do	Amendments in the Tables published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
83.	सं० 14-ई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 24 अप्रैल, 1976।	वाणिज्य मंत्रालय	लोहा और इस्पात लोह मिश्रधातुओं और लोहस कतरन का निर्यात—लाइसेंस अवधि अप्रैल 1976—मार्च 1977 के लिए नीति
	No. 14-ETC(PN)/76, dated the 24th April, 1976.	Ministry of Commerce	Export of Iron & Steel, Ferro Alloys and Ferrous Scrap—Policy for the licensing period April 1976—March 1977.
84.	सं० 33-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 30 अप्रैल 1976।	वाणिज्य मंत्रालय	1976–77 के दौरान एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस के माध्यम से आयात।
	No. 33—ITC (PN)/ 76, dated the 30th April 1976.	Ministry of Commerce	Imports through Air India/Indian Airlines during 1976-77.
85.	सं० टी० जी० डी० (52)/76, दिनांक 1 मई 1976	नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय	दिल्ली परिवहन नियम में हुई अब तक प्रगति की समीक्षा और सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति।
	No. TGD (52)/76, dated the Ist May, 1976	Ministry of Shipping & Transport	Appointing an expert Committee for reviewing the progress hitherto made and suggest measures for further improvements in the D.T.C.
86.	सं०—34आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 3 मई 1976।	वाणिज्य मंत्रालय	पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति। (शुद्धि संख्या-2)
	No. 34—ITC (PN)/ 76, dated the 3rd May 1976.	Ministry of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for 1976-77 (Errata No. II).
87.	सं० 35-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 5 मई 1976।	वाणिज्य मंत्रालय	मार्च, 1974—फरवरी 1976 अवधि के दौरान अफगानिस्थान से हींग और जीरे के बीजों के 30 जून 1975 तक किए गए आयातों के प्रति प्रति-निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए समय सीमा की वृद्धि।
	No. 35—ITC (PN)/76, dated the 5th May 1976	Ministry of Commerce	Extension of time-limit for fulfilment of counter export obligation against imports of Asafoetida and Cumin Seeds effected upto 30th June 1975 from Afghanistan, during March 74—Feb. 75 period.
88.	सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 43/76, दिनांक 6 मई 1976	राजस्व और बैंकिंग विभाग	सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-43/76, dated the 6th May 1976.	Department of Revenue and Banking.	Amendments in the Tables published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated 15th October, 1971.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	451
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	875
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	55
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	775
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1563
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1973
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	213
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4923
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	499
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	45
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1495
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	91

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	451
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	875
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	55
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	775
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1563
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1973
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	213
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	4923
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	499
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	45
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1495
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	91

भाग I—खंड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई, 1976

शुद्धि-पत्र

सं० 12/18/75-के० से० (II)—आशुलिपिक ग्रेड II सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 1976 के नियमों में जो भारत के राजपत्र भाग I खंड 1 में मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की दिनांक 27 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 12/18/75 के० से० II में प्रकाशित हुए थे, निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

(1) नियम 2 में वर्तमान दूसरे पैरे के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाय, अर्थात :—

"भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों के संबन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।"

(2) नियम 10 के वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

"परन्तु यह कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक सामान्य मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा मानक में ढील देकर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग और सशस्त्र सेवा मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की चयन सूची में शामिल करने के लिये योग्य हो।"

(3) 'परिशिष्ट' के पैराग्राफ 3 के निम्नलिखित उप-पैराग्राफ के नियमों को हटा दिया जाएगा, अर्थात :—

"प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे। परन्तु निबंध के प्रश्न पत्र में निबंधों के अंग्रेजी शीर्षकों के साथ-साथ हिंदी रुपांतर भी दिए जाएंगे।"

के० वी० नायर, अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई, 1976

संकल्प

सं० ई० 13016/3/75-वि० एस० पी० (एच० एल० बी०)—इस मंत्रालय के दिनांक 10 फरवरी, 1972 के संकल्प सं० एफ० 22/4/69-जे० एल० (एडमिन) तथा उसके अधीन दिनांक 8 मार्च, 1972 को जारी की गई लोकसूचना सं० एफ० 22/4/69 जे० एल० (एडमिन) को अतिष्ठित करते हुए भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, ने हिंदी में विधि की ऐसी मानक पुस्तकों के लेखन, अनुवाद तथा प्रकाशन की स्कीम का पुनरीक्षण करने का निश्चय किया है जिनका उपयोग

(i) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की एल० एल० बी० की कक्षाओं में;

(ii) न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले वकीलों द्वारा, तथा

(iii) न्यायपालिकाओं में

विधि की पाठ्य पुस्तकों के रूप में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाए।

2. इस स्कीम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में हिंदी भाषा में लिखी गई/प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों पर पुरस्कार देना,

(ii) चुने हुए विषयों पर तथा अग्र निर्णयों पर चुने हुए लेखकों द्वारा संविदा के आधार पर हिंदी भाषा मौलिक विधि पुस्तकें लिखवाना, तथा

(iii) चुने हुए अनुवादकों द्वारा संविदा के आधार पर उन विधि पुस्तकों का हिन्दी भाषा में अनुवाद कराना जिन्हें गौरव ग्रंथों का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

3. स्कीम के तीनों भागो से संबंधित निबंधन तथा शर्तें का ब्यौरा इस प्रकार है —

I. किसी कैलेंडर वर्ष में हिंदी भाषा में लिखी गई/प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों पर पुरस्कार

(i) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में विधि की हर शाखा के लिए साधारणत: 10,000 रु० (दस हजार रुपए) का एक पुरस्कार आरक्षित होगा :

परन्तु वे पुस्तकें पुरस्कार पाने की पात्र नहीं होंगी जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सहायता पाने वाले किसी संस्थान या संगठन द्वारा प्रवर्तित किसी स्कीम के अधीन या किए गए करार के अनुकरण में, लिखी गई/प्रकाशित की गई है।

(ii) यदि किसी वर्ष में विधि की किसी शाखा में कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती है तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जायगा। भारत सरकार किसी पुस्तक या पुस्तकों की क्वालिटी विषय वस्तु तथा साहित्यिक श्रेष्ठता के आधार पर प्रोत्साहन पुरस्कार दे सकती है किन्तु साधारणत: किसी एक शाखा में इन प्रोत्साहन पुरस्कारों की रकम कुल मिलाकर 5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) से अधिक नहीं होगी।

(iii) कोई लेखक जब अपनी पुस्तक पुरस्कार हेतु भेजता है तो उस पर उसका प्रतिलिप्याधिकार समाप्त नहीं होगा।

(iv) भारत सरकार अपने आप भी किसी पुस्तक या पांडुलिपि को पुरस्कार हेतु विचार करने के लिए शामिल कर सकती है।

(v) किसी पुस्तक के अनुवाद पर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

(vi) पुस्तकें या पांडुलिपियां, विधि साहित्य प्रकाशन को निर्धारित तारीख तक विहित प्रारूप में भेजी जानी चाहिएं। निर्धारित तारीख के बाद भेजी गई पुस्तकों या पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) पुस्तकों के लेखक, अपनी पुस्तकों में साधारणत: उन्हें हिंदी विधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे जो यथास्थिति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में आते हैं तथा राजभाषा (विधायी) आयोग, द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी-हिंदी विधि शब्दावली में दिए हुए विधिक शब्दों का प्रयोग अपनी पुस्तक में तत्समान या मिलते जुलते पदों के लिए करेंगे।

(viii) जहां तक सम्भव हो निर्णयों के उद्धरण विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका से लिए जायेंगे। निर्णयों के प्रति निर्देश भी इन्हीं पत्रिकाओं से होंगे।

(ix) यदि कोई अप्रकाशित कृति पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो पुरस्कार की रकम तभी दी जाएगी जब लेखक उक्त पुस्तक को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी ऐसे संस्थान या संगठन से जिसे पूर्वोक्त सरकारों में से किसी से सहायता मिलती है, सहायता लिए बिना प्रकाशित कर देता है।

(x) पुस्तकों या पांडुलिपियों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त निर्णायक पैनल/मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायगा।

II. चुने हुए विषयों पर तथा अग्र निर्णयों पर हिंदी भाषा विधि पुस्तकें लिखवाने के लिए विशेष अनुबंध :—

(i) हिंदी में मौलिक विधि पुस्तकें लिखवाने के लिए उन व्यक्तियों से विशेष अनुबंध किए जायेंगे जिन्हें :—

(क) हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है,

(ख) (i) किसी विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय म संबद्ध विधि महाविद्यालय में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है, या

(ii) न्यायाधीश के कार्य का या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विधि या विधायी विभाग में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है, या

(iii) अधिवक्ता के रूप में पर्याप्त अनुभव है।

(ii) इस प्रयोजन के लिये चुने गए व्यक्ति निर्धारित विषय की पुस्तक लिखने के लिए लिखित रूप में यथारीति करार करेंगे।

(iii) लेखक विषय वस्तु के अनुसार पुस्तक की सम्पूर्ण पांडुलिपि निर्धारित समय के भीतर भेजेंगे। यह समय-सीमा विषय को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग हो सकती है। समय सीमा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में लेखक के लिखित आवेदन पर सरकार के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।

(iv) यदि लेखन कार्य प्रगति करार में दिए गए समय तथा स्तर के अनुसार न हो रही हो तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह करार में दिए को समाप्त कर दे। इस संबंध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा करार के सभी पक्षकार उससे आबद्ध होंगे।

(v) सरकार को पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रथम अधिकार होगा और अपने इस विकल्प का प्रयोग करने की दशा में सरकार पुस्तक की विषय-वस्तु के आधार पर उसके लिखने में किए गए परिश्रम तथा लेखक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इसके प्रथम संस्करण के लिए यदि संकरण में 3000 प्रतियों से अधिक नहीं छापी गई हैं तो पांच हजार रुपए (5000 रुपए) की रकम दो किस्तों में देगी। रकम के 40 प्रतिशत की पहली किश्त सरकार द्वारा पडुंलिपि स्वीकृत होने पर की जाएगी तथा 60 प्रतिशत की दूसरी किश्त पुस्तक प्रकाशित होने पर देय होगी। यदि प्रथम संकरण की प्रतियां 3000 से अधिक हैं तो सरकार 3000 प्रतियों के विक्रय के बाद जितनी प्रतियां बिकती हैं उनके विक्रय पर साढ़े सात प्रतिशत की दर से स्वामिस्व देगी। यदि सरकार इसके बाद कोई संस्करण प्रकाशित करती है तो (i) यदि लेखक स्वयं पुस्तक में संशोधन करता है और उसको अद्ययतन करता है तो सरकार बिकी हुई पुस्तकों के मूल्य पर 15 प्रतिशत स्वामिस्व देगी और (ii) यदि मौलिक पुस्तक का केवल पुन: मुद्रण किया जाता है जिसमें लेखक की सेवाएं संशोधन कार्य अथवा पुस्तक को अद्ययतन बनाने में नहीं ली गई है तो बिकी हुई प्रतियों के मूल्य पर साढ़े सात प्रतिशत स्वामिस्व देगी।

(vi) यदि सरकार पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करती है तो सरकार को अपने विवेक के अनुसार पुस्तक का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा लेखक सरकार के उक्त विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए आबद्ध होगा।

(vii) यदि सरकार पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करती तो उसका प्रकाशन लेखक से करार पाई गई अवधि के अन्दर किया जायगा। यदि सरकार उस अवधि के भीतर पुस्तक का प्रकाशन नहीं कर पाती है तो लेखक को यह अधिकार होगा कि वह उसके प्रकाशन के लिए स्वयं व्यवस्था करे और यह सरकार को, इस बीच हुए खर्च की, प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

(viii) यदि सरकार पुस्तक प्रकाशित करती है तो वह प्रथम संकरण की 3000 प्रतियों के विक्रय के बाद जितनी प्रतियां बिकती हैं उन प्रतियों का सही तथा पूरा हिसाब लेखक को देगी तथा जनवरी से दिसम्बर तक बिकी हुई प्रतियों पर स्वामित्व हर वर्ष पहली जुलाई से पूर्व लेखक को संदाय करने के लिए आबद्ध होगी।

(ix) लेखक पुस्तक के सबसे अच्छे संस्करण की 10 प्रतियां निशुल्क पाने का हकदार होगा।

(x) यदि सरकार पुस्तक प्रकाशन करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है तथा लेखक को वह अनुमति दे देती है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से सहायता पाने वाले किसी संस्थान या संगठन से सहायता लिए बिना प्रकाशित कराता है तो सरकार पुस्तक के प्रकाशन पर लेखक को 2000 रु० (दो हजार रुपए) से अनधिक रकम अनुग्रह के रूप में देगी ?

(xi) यदि सरकार पांडुलिपि के अनुमोदन की तारीख से छह मास के भीतर अपने इस विकल्प का प्रयोग नहीं करती है तो लेखक को यह अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छानुसार किसी व्यवस्था के अनुसार पुस्तक प्रकाशित कराये।

(xii) पुस्तकों के लेखक अपनी पुस्तकों में साधारणतः उन्हीं हिन्दी विधि शब्दों का प्रयोग करेंगे जो यथास्थिति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में आते हैं तथा राजभाषा (विधायी) आयोग, द्वारा अनुमोदित तथा प्रकाशित अंग्रेजी-हिंदी विधि शब्दावली में दिए हुए विधिक शब्दों का प्रयोग अपनी पुस्तक में तत्समान या मिलते जुलते पदों के लिए करेंगे।

(xiii) जहां तक सम्भव हो निर्णयों के उद्धरण विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका से लिए जाएंगे। निर्णयों के प्रति निर्देश भी इन्हीं पत्रिकाओं से होंगे।

(xiv) इन पुस्तकों के प्रकाशन तथा विक्रय के लिए अपनी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार अपनी इच्छानुसार किसी अन्य प्रकाशन गृहों से उन पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन तथा विक्रय करने के लिए व्यवस्था कर सकती है जिनके प्रकाशन का भार सरकार ने लिया है।

III. उन चुनी हुई विधि पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराना जिन्हें गौरव ग्रंथों का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

(i) सरकार ने चुनी हुई विधि पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद तथा प्रकाशन का, उत्तरदायित्व लिया है जिन्हें गौरव ग्रंथों का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

(ii) सरकार अनुवाद के लिए पुस्तकों का चयन उन पुस्तकों में से करेगी जिनको भारत के विश्वविद्यालय द्वारा संदर्भ ग्रंथों के रूप में उपयोग के लिए सिफारिश की जाती है तथा उन पुस्तकों को जिनको न्यायाधीश और विधि व्यवसायी मूल्यवान पुस्तक मानते हैं।

(iii) किसी भी व्यक्ति को, जो विधि का स्नातक है, जो पुस्तक में लिखे गए विषयों से पूर्ण रूप से परिचित है, जिसे हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है, अनुवाद का कार्य सौंपा जा सकता है।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति को जो इन पुस्तकों का अनुवाद करना चाहता है इस संबंध में करार करना होगा। अनुवाद के लिए दी गई पुस्तक का पूरा अनुवाद करार में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या बढ़ाये गए समय के भीतर जो सरकार के विवेकानुसार करार के दूसरे पक्षकार द्वारा लिखित आवेदन पर मंजूर किया जाय, पूरा करना होगा।

(v) अनुवाद कार्य के पूरे हो जाने पर और अनुमोदित हो जाने पर उसके लिए देय रकम प्रत्येक 400 शब्दों के अनुवाद के लिए 10.00 (दस रुपये) की दर से परिकलित की जाएगी। रकम का भुगतान दो किस्तों में किया जायगा। पहली किस्त कुल पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत होगी जिसका भुगतान अनुवाद के अनुमोदन के पश्चात किया जायगा तथा दूसरी किस्त जो 60 प्रतिशत होगी सरकार द्वारा पुस्तक के प्रकाशन पर दी जायगी।

(vi) पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अनुवाद होते ही सरकार प्रस्तुत किया जायगा। सरकार द्वारा सुझाये गए संशोधन, उपांतरण या परिवर्तन अनुवाद को मानने होंगे तथा वह उनका अनुवाद में समावेश करेगा।

(vii) पुस्तकों के लेखक, अपनी पुस्तकों में साधारणतः उन्हीं हिन्दी विधि शब्दों का प्रयोग करेंगे जो यथा स्थिति केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में आते हैं तथा राज्य भाषा (विधायी) आयोग, द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी-हिंदी विधि शब्दावली में दिए हुए विधिक शब्दों का प्रयोग अपनी पुस्तक में तत्समान या मिलते जुलते पदों के लिए करेंगे।

(viii) यदि अनुवाद कार्य उस निर्धारित समय के अनुसार जो उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित है या उसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो सरकार द्वारा मंजूर किया गया है, नहीं हो रहा है या उस स्तर का नहीं है जो सरकार को स्वीकार हो तो सरकार को अधिकार होगा कि वह करार को, किसी प्रकार का भुगतान किए बिना समाप्त कर दे। इस संबंध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा करार के सभी पक्षकार उसके आबद्ध होंगे।

(ix) भारत सरकार अनुदित होने वाली पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार धारण करने वाले व्यक्ति से उसके अनुवाद के प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करेगी।

(x) मूल पुस्तकों के प्रतिलिप्याधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों से करार पाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए एक मात्र भारत सरकार को ही अनुवाद के प्रकाशन का अधिकार होगा।

नारायण दास सिन्हा, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1976

सं० 4(1)/76 ई० पी० जैड :—केन्द्रीय सरकार, आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस० एन० सहगल को, श्री के० एन० रो के स्थान पर, सांताक्रुज इलक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रासेसिंग जोन बोर्ड के सदस्य के रूप में एतदद्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात उत्पादन विभाग) की अधिसूचना सं० 4(1)/73 ई० पी० जैड० दिनांक 24 जनवरी, 1975 में निम्नोक्त और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 5 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नोक्त प्रविष्टि की जाय, अर्थात

"5. श्री एस० एन० सहगल,
संयुक्त सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग।"

एन० एस० वैद्यनाथन, निदेशक

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1976

सकल्प

सं० आई० एस० 23011/8/75-एफ० एस० पी० :—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के संकल्प संख्या आई० एस० 23011/8/75-एफ० एस० पी० दिनांक 22 अप्रैल, 1975 जिसके साथ समसंख्यक संकल्प दिनांक 22 जुलाई, 1975 को भी पढ़ा जाय, के अन्तर्गत पैट्रोलियम उत्पादों की वितरण पद्धति पर गठित समिति, जिसको 31 दिसम्बर, 1975 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, अब वह अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1976 से पहले प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

सी० वैंकटरमणि
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1976

संकल्प

स० एफ० सी० 2/23/74 :—ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन करने के संबंध में इस मंत्रालय के 23 दिसम्बर, 1974 के संकल्प सं० एफ० सी० 2/23/74 के पैरा I की वर्तमान संख्या 11 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"11 वन मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार — सदस्य"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति असम और अरुणाचल राज्य सरकार, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सनिक सचिव, भारत के महानियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, योजना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है शि संशल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा राज्य सरकारों से इसे सार्वजनिक सूचना के लिए राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध किया जाए।

ओ० पी० चढ़ा, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1976

सं० एफ० 12. 4/75-एस० पी० (II) :—शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 जून, 1975 के कार्यक्रम में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बोर्ड के पुनर्गठित होने तक की अवधि के लिए, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्य श्री एम० एम० पालनिस्कर के स्थान पर महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य, खेल तथा पर्यटन विभाग के सचिव श्रीमति मालती ताम्बेवैद्य को मनोनीत किया जाता है।

ए० एस० तलवार, उप सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1976

सं० 55018/2/75-सी० ए० एफ० सी० पी० एम० :—ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के दिनांक 17 जुलाई, 1975 के संकल्प संख्या 55018/2/75 सी० ए० एफ० के द्वारा विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले अनुषंगी कार्यों के प्रश्न पर विचार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल जुलाई, 1976 के अंत तक बढ़ाने का सरकार द्वारा निश्चय किया गया है, ताकि वह समिति विविध स्रोतों और प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर सके और उक्त समय तक अपनी दूसरे चरण की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दे। समिति द्वारा सरकार को पहले चरण की रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

एस० के० घोष, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND A.R.)

New Delhi-1, the 18th May 1976

CORRIGENDUM

No. 12/18/75-CS(II).—In the Rules for the Grade II Stenographers' Limited Departmental Competitive Examination, 1976, as published in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) Notification No. 12/18/75-CS.II, dated the 27th March, 1976, in Part 1, Section 1 of the Gazette of India, the following corrections shall be made :—

(i) *for* the existing second para in rule 2, the following para shall be *substituted*, namely :—

"Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government of India."

(ii) *for* the existing proviso to rule 10, the following proviso shall be *substituted* :—

"Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service (B) and Armed Forces Headquarters Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination."

(iii) The following sub-paragraph of paragraph 3 of the 'Appendix' to the Rules shall be *omitted*, namely :—

"Question Papers will be set in English only. However, the question on 'Essay' will also contain Hindi version of the English captions of essay".

K. B. NAIR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW
JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 4th May 1976

RESOLUTION

No. E.13016/3/75-VSP(HLB).—In supersession of this Ministry's Resolution No. F.22/4/69-JL(Admn) dated the 10th February, 1972 and Public Notice No. F.22/4/69-JL(Admn) dated the 8th March, 1972 issued thereunder, the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department, have decided to revise the scheme for writing, translating and publication of standard law books in the Hindi language for use as text books or reference books in the

(i) LL.B. classes of Universities and Colleges;

(ii) the use of lawyers practising in law courts and

(iii) the Judiciary.

2. The main features of the scheme are as follows :—

(i) Award of prizes to the best law books written/published in Hindi language in any calendar year.

(ii) Special assignments for getting original law books written in the Hindi language on selected subjects and Leading Cases by selected authors on contract basis; and

(iii) Getting selected law books which have acquired the status of classics to be translated into the Hindi language by selected Translators on contract basis.

3. The detailed terms and conditions pertaining to each of the three parts of the scheme are as under :

(1) Award of prizes to the best law books written/published in Hindi language in any calendar year.

(i) In each calendar year, there shall ordinarily be one prize reserved for each branch of law and it shall be of an amount of Rs. 10,000 (Rupees ten thousand only).

Provided that the books written/published in pursuance of a contract with, or under any scheme sponsored by the Central Government or any State Government or any institution or organisation receiving aid from any of the Governments aforesaid, shall not be eligible for the award of prize.

(ii) If in any year no book is adjudged fit to qualify for the award of a prize in any branch of law, no prize would be awarded. The Government of India may award an amount by way of consolation prize on the basis of the quality, content and literary excellence of a book or books but the total amount of consolation prizes in any one branch of law shall not ordinarily exceed Rs. 5,000 (Rupees Five thousand only).

(iii) The author who submits his book for being considered for the award of a prize shall not lose his copyright therein.

(iv) The Government of India may of its own also include for consideration any book/manuscript for the award of a prize.

(v) The translation of a book shall not be considered for the award of a prize.

(vi) Books or manuscripts shall be submitted to the Vidhi Sahitya Prakashan alongwith the prescribed Entry Form by the date specified for the purpose. Books or Manuscripts submitted after that date shall not be considered.

(vii) The author of a book shall generally use the Hindi legal terms occurring in the authoritative Hindi texts of the Central Acts or State Acts, as the case may be, and the Hindi legal terms contained in the English-Hindi Glossary published by the Official Language (Legislative) Commission, in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, for identical or similar expressions used in the book.

(viii) Reference to and quotations from judgements shall, as far as possible, be from the two Hindi Law Reports, namely 'Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika' and 'Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika', published by the Vidhi Sahitya Prakashan.

(ix) If an unpublished work is selected for a prize, the prize money shall be paid only after the book has been published by the author without any assistance from the Central Government, State Government or any institution or organisation receiving aid from any of the Governments aforesaid.

(x) The books or manuscripts shall be evaluated by a panel of Judges/Evaluation Committee to be appointed by Government in that behalf.

II. SPECIAL ASSIGNMENT FOR GETTING LAW BOOKS WRITTEN IN HINDI ON SELECTED SUBJECTS AND ON LEADING CASES.

(i) Special assignments for writing of original law books in Hindi shall be given to such persons who possess :

(a) Adequate knowledge of the Hindi language.

(b) (1) Adequate experience of teaching in a University Law College or an affiliated law college, or

(2) Adequate experience as a Judge or as an Officer engaged in legal or legislative work in the Central or in a State Government, or

(3) Adequate standing at the Bar.

(ii) Persons selected for the purpose shall formally enter into an agreement for writing the book on the subject agreed to.

(iii) The author shall submit the complete manuscript within a specified time which may vary with the nature of the subject. The time limit may be extended in exceptional circumstances by the Government at its discretion on a written request being made by the Author.

(iv) In the event of the progress of the work not being in accordance with the stipulation in the agreement in regard to time and standard, the Government shall have the right to terminate the agreement. The decision of the Government in this regard shall be final and binding on all the parties to the agreement.

(v) The Government shall have the first option to publish the book, and in the event of its exercising that option, the Government shall pay an amount upto Rs. 5,000 (Rupees five thousand only) depending upon the subject matter of the book, the effort involved and the standing of the author, in two instalments for the first edition of it is of not more than 3000 copies. The first instalment of 40% shall be paid on the approval of the manuscript by Government and the second instalment of 60% shall become payable on publication of the book. If the first edition is of more than 3000 copies a royalty @ 7½% on the sale price of the books sold in excess of 3000 copies shall be paid by the Government. In the event of Government publishing subsequent editions royalty shall be paid at the rate of (i) 15% on the sale price of each book sold in case the author himself revises the book and makes it upto-date, or (ii) 7½% on the sale price of the copies on simple reprints where the services of the author are not availed of for any reason to make the book upto-date or revise it.

(vi) In the event of Government exercising its option to publish the book, it shall have the right to fix the price of the book at its discretion and the author shall be under an obligation to accept the decision of the Government in that respect.

(vii) If the Government exercises its option to publish the book it shall publish the same within the period agreed to with the author. In the event of the Government failing to publish it within the prescribed period, the author shall be free to make his own arrangements for the publication of the book without being under any obligation to reimburse the Government for expenses already incurred thereon.

(viii) In the event of Government publishing the book, it shall render a true and complete account of the number of copies printed and sold in excess of 3000 copies of the first edition and shall also be under an obligation to pay the royalty due on the copies sold to the author on the first day of July of every year.

(ix) The author shall be entitled to receive ten complimentary copies of the book in the best edition.

(x) In case the Government does not exercise the option to publish the book itself and permits the author to publish the book under any arrangement of his choice, without any assistance from the Central Government, State Government or any institution or organisation receiving aid from any of the Governments aforesaid the Government shall pay an ex-gratia amount to the author not exceeding Rs. 2,000 on the publication of the book.

(xi) In case the Government does not exercise this option within a period of six months from the date of approval of the manuscript, the author shall have the right to publish the book under any arrangement of his choice.

(xii) The author shall generally use the Hindi legal terms which have been used in the authoritative Hindi texts of the Central Acts or State Acts, as the case may be, and the Hindi legal terms approved by the Official Language (Legislative) Commission and contained in the English-Hindi Glossary published by the Commission, for identical or similar expressions.

(xiii) The author shall make use of 'Uchchalama Nyayalaya Nirnaya Patrika' and 'Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika' the two Hindi Law Reports published by the Vidhi Sahitya Prakashan for the purpose of citation and quotations from the cases reported therein.

(xiv) In addition to its own organisation for the production and sale of such books, the Government of India may make arrangements with some other publishing concerns of their choice for printing publication and sale of books which they have undertaken to publish.

III. GETTING SELECTED LAW BOOKS WHICH HAVE ACQUIRED THE STATUS OF CLASSICS TO BE TRANSLATED INTO HINDI.

(i) The Government have undertaken to get selected books which have acquired the status of classics translated and published in Hindi.

(ii) The books to be translated shall be chosen by Government on the basis of books recommended as reference books by the Universities in India and books highly valued by the members of the Bench and the Bar.

(iii) Any person who holds a good degree in Law, has good acquaintance with the subject dealt within the book, has an adequate knowledge of the Hindi language and is found capable of undertaking translation of legal literature in Hindi, may be assigned translation work.

(iv) Each person offering to undertake the work of translation of any such book shall have to enter into an agreement in this regard. The whole work of translation of the allotted book shall be completed within the time specified in the agreement or within such extended time as the Government in its discretion may grant on the written request of the other party to the agreement.

(v) The amount payable for the completed and approved translation shall be at the rate of Rs. 10/- (Rupees ten only) for every 400 words translated. The payment shall be made in two instalments. The first instalment of 40% of the total remuneration shall be paid on approval of the translation work and the second instalment of 60% shall be paid on publication of the book by the Government.

(vi) Each chapter of the book immediately after its translation shall be submitted to the Government. Any amendments, modifications or changes suggested by the Government shall be accepted by the Translator and shall be carried out by him.

(vii) The Translator shall generally make use of Hindi legal terms which have been used in the authoritative Hindi text of the Central Acts or State Acts as the case may be and the Hindi legal terms approved by the Official Language (Legislative) Commission and given in the Glossary (English-Hindi) published by the Commission, for expressing identical or similar concepts.

(viii) In the event of the translation work not proceeding in accordance with the speed requisite for its completion within the stipulated time or within the extended time as may have been granted by Government or its not being of the standard acceptable to the Government, the Government shall have the right to terminate the agreement without making any payment. The decision of the Government in this regard shall be final and binding on all the parties to the agreement.

(ix) The Government of India shall undertake to obtain the permission for publication of the translation from the copyright holder of the book to be translated.

(x) The Government of India shall have the sole right to publish the translation subject to the conditions agreed upon with the copyright holders of the parent book.

N. D. SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF EXPORT PRODUCTION)

New Delhi, the 24th April 1976

No. 4(1)/76-EPZ.—The Central Government hereby appoints Shri S. N. Saigal, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, as member of the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone Board *vice* Shri K. N. Row, and makes the following further amendment in the Government of India, Ministry of Commerce, Department of Export Production Notification No. 4(I)/73-EPZ dated the 24th Jan., 75.

In the said notification for the entry against S. No. 5, the following shall be *substituted*, namely,

"5. Shri S. N. Saigal,
Joint Secretary,
Department of Economic Affairs."

N. S. VAIDYANATHAN, Director

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 7th April 1976

RESOLUTION

No. JS-23011/8/75-FSP.—Government of India [illegible] decided that the Committee [illegible] Distribution [illegible] Petroleum Products [illegible] Ministry of Petroleum & Chemicals Resolution No. JS-[illegible]-FSP [illegible] 22nd April, 1975 read with Resolution of even number dated the 22nd July, 1975, who were to submit their report before the 31st December, 1975 will now submit their report before the 30th June, 1976.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution be sent to all concerned.

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 9th March 1976

RESOLUTION

No. F.C.-2(23)/74.—In para 1 of this Ministry's Resolution No. F.C.-2(23)/74 dated the 23rd December 1974, reconstituting the Brahmaputra Flood Control Board, the following may be *substituted* for the existing entry at Sl. No. 11:

"1. Minister of Forests, Government of Arunachal Pradesh—Member".

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Assam and Arunachal Pradesh/concerned Ministries of Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

O. P. CHADHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th May 1976

No. F.12-4/75 SP(II).—In continuation of the Ministry of Education and Social Welfare Notification of even No. dated the 2nd June, 1975, Shrimati Malti Tambay Vaidya, Secretary to the Government of Maharashtra, Social Welfare Cultural Affairs, Sports and Tourism Department is hereby nominated as a Member of the Board of Governors of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports vice Shri M. S. Palnitkar with effect from the date of issue of this Notification and till such time as the Board is re-constituted.

A. S. TALWAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 10th May 1976

No. 55018/2/75-CAF/CPM.—Government have decided to further extend the term of the Export Committee constituted for going into the question of taking up ancillary activities by the different Coal Companies *vide* Ministry of Energy (Department of Coal) Resolution No. 55018/2/75-CEF dated the 17th July, 1975, upto the end of July, 1976 to enable it to get information from different sources and authorities and submit its IInd phase report to Government by that time. Committee has already submitted 1st phase report to the Government.

S. K. BOSE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976